भाषा विभाग
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका
2024-25
एवं
वार्षिक कार्ययोजना
2025-26

भाषा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
01	भाषा विभाग के उद्देश्य एवं परिचय	1-4
02	(I) भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 2024-25 में सम्पन्न की गई योजनाएं	5-26
	(II) भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण	27
03	(I) उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधीन संचालित उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी की वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित योजनाएँ	28-40
	(II) वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित बजट	41

भाषा विभाग के उद्देश्य एवं परिचय

राजभाषा हिन्दी, उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों को विकसित करने एवं उर्दू, पंजाबी भाषाओं को संवर्द्धित करने, प्राचीन साहित्य को संरक्षित रखते हुए विश्व स्तरीय सम्मानित एवं सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं के समकक्ष लाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड भाषा संस्थान का गठन किया गया है, जिसमें डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिन्दी अकादमी उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी को सम्मिलित किया गया है, उक्त संस्थानों के उद्देश्य निम्नवत हैं –

(1) संकलन एवं प्रकाशन

(क) संस्थान द्वारा प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं एवं बोलियों के विकास एवं संवर्द्धन हेतु पुस्तकों का संकलन एवं प्रकाशन कार्य किया जायेगा, मुख्यतः दुर्लभ, श्रेष्ठ, अप्रकाशित, एवं अप्राप्य पुस्तकों का संकलन कर पुनः प्रकाशन, इन्जीनियरिंग, तकनीकी, कृषि, स्वास्थ्य और चिकित्सा, प्रशासनिक–प्रबंधन, व्याकरण, प्रबन्धकीय, शब्दकोष, आधुनिक विषयों से संबंधित पाठ्य–पुस्तकों एवं पत्रिकाओं आदि का लेखन, अनुवाद, संकलन एवं प्रकाशन कार्य।

(ख) पुस्तकों को निःशुल्क, दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना तथा शोधार्थियों को इनकी छाया प्रतियाँ मूल्य लेकर अथवा पुस्तकालय में अध्ययन के लिए उपलब्ध कराना।

(2) आर्थिक अनुदान

(क) संस्थान द्वारा प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं एवं बोलियों के ऐसे साहित्यकारों/लेखकों/कवियों/प्रबुद्धजनों की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान करेगा, जो धनाभाव के कारण अपनी पुस्तक को प्रकाशित नही करवा पाते है।

(ख) संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार राज्य के वृद्ध/बीमार साहित्यकारों हेतु आर्थिक सहायता इत्यादि की व्यवस्था करना।

(3) शोध परियोजना/शोध कार्य

संस्थान द्वारा राज्य की भाषाओं का भाषायी सर्वेक्षण, उत्तराखण्ड के स्थान–नामों का भाषायी सर्वेक्षण, चरित कोष निर्माण, विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साहित्य पर शोध कार्य, एवं अन्य एसे शोध कार्य जो समय–समय पर विहित किये जायें।

(4) कार्यशालाएं, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन–

(क) उत्तराखण्ड की लोकभाषाओं के मानकीकरण हेतु विद्वान साहित्यकारों की कार्यशाला का आयोजन।

(ख) राज्य की भाषाओं एवं बोलियों के साहित्य के उन्नयन हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन।

(ग) पाठ्यक्रम–निर्माण इत्यादि से संबंधित प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(घ) संस्थान के अन्तर्गत विभिन्न भाषा–अकादमियों द्वारा हिन्दी/पंजाबी/उर्दू एवं लोकभाषाओं में संबंधित भाषाओं के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने संबंधी कार्य।

(ड़) आशुलेखन, हिन्दी टंकण आदि प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसा समय–समय पर विहित किया जाय।

(च) भाषायी प्रतियोगिताओं का आयोजन।

(5) अनुवाद

(क) राज्य एवं देश की विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु उपलब्ध पाण्डुलिपियों एवं ताम्रपत्रों, भोजपत्रों आदि का अन्य भाषाओं में अनुवाद करवाना।

(ख) अनुवाद के लिए लेखकों को प्रोत्साहित करना।

(6) सम्मान

(क) उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड में विगत 15 वर्षों से निवास करने वाले लेखकों, कवियों, कहानीकारों, उपन्यासकारों, साहित्यकारों को उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए पुरस्कृत, सम्मानित एवं समादृत करना।

(ख) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित करना।

(ग) अन्य सम्मान जैसा समय–समय पर विहित किया जाय।

(7) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

(क) भाषा संस्थान की यह बहुआयामी योजना होगी, जिसमें शोध पत्रों का वाचन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन, हिन्दी दिवस, काव्य गोष्ठियों का आयोजन, भाषा संबंधी विचार–विनियम, साहित्यिक शोभा यात्रा, प्रख्यात दिवंगत रचनाकारों की जयन्ती एवं स्मृति

पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, लोक भाषा सम्मेलन, सर्व भाषा सम्मेलन, नाट्यमंचन आदि का आयोजन करना।

(ख) प्रदेश/देश/विदेश के साहित्यकारों के मध्य संवाद स्थापित करवाने के उद्देश्य से सद्भावना यात्राएं आयोजित करना।

(ग) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषायी सम्मेलनों में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में साहित्यकारों, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों, शासन एवं संस्थान के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग करना।

(08) **भाषा अध्ययन केन्द्र की स्थापना**

संस्थान विशेष रूप से विभिन्न भाषाओं के अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। भाषा विशेष के छात्रों को संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी एवं अन्य विदेशी भाषाओं के व्याकरण, साहित्य–साहित्यिक कालविशेष, साहित्य विशेष, ग्रन्थविशेष के अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगा। अध्ययन केन्द्र की स्थापना राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से सामंजस्य कर संचालित किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस अध्ययन केन्द्र के रूप को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।

(09) पुस्तकालय स्थापना

(क) संस्थान के अन्तर्गत विभिन्न भाषा–अकादमियों का हिन्दी/पंजाबी/उर्दू एवं लोकभाषाओं से संबंधित विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य का विश्वस्तरीय पुस्तकालय का निर्माण करना।

(ख) संस्थान द्वारा ई–पुस्तकालय की स्थापना करना एवं ई–बुक के माध्यम से आमजन तक पुस्तकालय उपलब्ध करवाना।

(ग) राज्य के विभिन्न स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के पुस्तक मेले आयोजित करना एवं करवाना।

(10) साहित्य ग्राम की स्थापना

(क) उत्तराखण्ड राज्य अपनी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गरिमा के लिए विश्व विख्यात है, यह आवश्यक होगा कि साहित्यिक वातावरण को अक्षुण्य बनाने के लिए एक साहित्य ग्राम की स्थापना की जायेगी।

(ख) साहित्य ग्राम में विश्व के सभी देशों के आए साहित्यकार निवास कर सकेंगे, प्रत्येक कुटीर व कक्ष का नामकरण उत्तराखण्ड के साहित्यकारों व महापुरुषों के नाम पर रखा जायेगा।

(ग) साहित्य ग्राम को राज्य के श्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए आधुनिक प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(घ) साहित्य कुटीर एवं साहित्य कक्ष निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किये जा सकेंगे।

(ड़) साहित्य ग्राम में पुस्तकालय, सभागार आदि की भी व्यवस्था होगी।

(11) संस्थान के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उनके हितों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा व्यवस्थित सभी धनराशि के अलावा दान, प्रकाशन–अधिकारों की बिक्री एवं प्रकाशनों की बिक्री इत्यादि से प्राप्त धनराशि जमा की जायेगी। निधि का संचालन एवं व्यय के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(12) संस्थान के लिए चल या अचल सम्पत्ति अर्जित करना किन्तु प्रतिबंध यह है कि अचल सम्पत्ति के अर्जन के लिए राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होगी।

(13) संस्थान किसी भी राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक संगठन से संबंध नही रहेगा और न ही किसी असामाजिक अथवा राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में भाग लेगा।

(14) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित ऐसे व्यक्तियों/ संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थान से सम्बद्धता प्रदान करना, जो राज्य की बोली एवं भाषाओं के उन्नयन में कार्यरत हो।

(15) राज्य सरकार की अनुमति से संस्थान को अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग की बिक्री करने, पट्टे पर उठाने, उसका विनिमय करने अथवा उसे अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा।

(16) संस्थान ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा और अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा समय–समय पर विहित की जाय। ऐसे सभी प्रासंगिक कार्य करना जिनसे उपरिनिर्दिष्टि उद्देश्यों तथा कार्यकलापों को गतिशील करने में सहायता प्राप्त हो।

भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, द्वारा वर्ष 2024–25 में सम्पन्न की गई योजनाएं

विभाग का नाम – उत्तराखण्ड भाषा संस्थान (निदेशालय)

01. **उत्तराखण्ड भाषा संस्थान का गठन–** उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा के आदेश संख्या–182/XXXVI (3)/2018/21 (1)/2018 दिनांक 12 अप्रैल, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 का पारित किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से गठित उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अंतर्गत उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी, संस्थान के शाखाओं के रूप में कार्य करेगी।

02. **साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति का गठन–** उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अध्याय– 02 धारा 04 एवं 05 के अनुसार भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या –400/XXXIX/2022–35 (सा.)/2018 दिनांक 30 सितम्बर, 2022 एवं आदेश संख्या– 401/XXXIX/2022–35 (सा.)/2018 दिनांक 30 सितम्बर, 2022 द्वारा संशोधित उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक मा. भाषा मंत्री जी की अध्यक्षता एवं प्रबुद्धजनों के मार्गदर्शन में दिनांक 09 जुलाई, 2024 को सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की गयी। इस बैठक में संस्थान की वार्षिक कार्ययोजनाएं पारित की गयी।

उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान–2024

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2024 को पारित प्रस्ताव के क्रम में **''उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान–2024'** योजना के अन्तर्गत वर्ष–2024 के लिए प्रदेश के साहित्यकारों, लेखकों कवियों एवं प्रबुद्धजनों से आवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 11 सितम्बर, 2024 को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित विधाओं हेतु पुरस्कार निर्धारित किए गए –

पुरस्कार	विषय	पुरस्कार का नाम	विधा
उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान	विषय की बाध्यता नहीं है।	उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान	आजीवन साहित्य सृजन, साहित्य सेवा एवं साहित्य में विशेष योगदान के लिए शीर्षस्थ साहित्यकारों को यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार	हिन्दी साहित्य	सुमित्रा नन्दन पंत पुरस्कार	हिन्दी भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इस भाषा की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	लोक भाषा/ लोक साहित्य	गुमानी पंत पुरस्कार	कुमाउनी बोली,भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
		भजन सिंह 'सिंह' पुरस्कार	गढ़वाली बोली भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
		गोविन्द चातक पुरस्कार	अन्य उत्तराखण्ड की बोलियों एवं उपबोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	उर्दू	प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार	उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत उर्दू साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	पंजाबी	अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार	पंजाबी में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत पंजाबी साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन सम्मान	हिन्दी भाषा	गौरा पन्त 'शिवानी' पुरस्कार	हिन्दी भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इस भाषा की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
बाल साहित्य लेखन	हिन्दी एवं लोक भाषा	मगलेश डबराल पुरस्कार	हिन्दी एवं लोक भाषा में उत्कृष्ट बाल साहित्य सृजन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।

उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार	हिन्दी	महादेवी वर्मा पुरस्कार	महाकाव्य / खण्डकाव्य / काव्य रचना
		शैलेश मटियानी पुरस्कार	कथा साहित्य
		डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल पुरस्कार	अन्य गद्य विधाऐं
	कुमाउंनी	बहादुर बोरा पुरस्कार	समस्त गद्य विधाऐं
		शेर सिंह बिष्ट 'अनपढ़' पुरस्कार	समस्त पद्य विधाऐं
	गढ़वाली	भवानीदत्त थपलियाल पुरस्कार	समस्त गद्य विधाऐं
		कन्हैयालाल डंडरियाल पुरस्कार	समस्त पद्य विधाऐं
उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदयमान सम्मान	हिन्दी	चन्द्रकुवर वर्त्वाल पुरस्कार	हिन्दी साहित्य में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	कुमाउंनी	गीरीश तिवारी गिर्दा पुरस्कार	कुमाउंनी लोक साहित्य में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	गढ़वाली	विद्या सागर नौटियाल पुरस्कार	गढ़वाली लोक साहित्य में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	अन्य भाषा / बोली		अन्य भाषा एवं बोली में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
साहित्यिक पत्र–पत्रिका लेखन पुरस्कार	पत्र / पत्रिकाएं (हिन्दी एवं लोक भाषा)	भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार	साहित्य में मासिक / द्वैमासिक / त्रैमासिक पत्रिकाओं पर

उक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 20 नवम्बर, 2024 निर्धारित की गयी। प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न पुस्तकों की समीक्षा के लिए देश / प्रदेश के विख्यात साहित्यकारों की प्रत्येक विधा में तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया, इसके लिए सभी सम्मानित चयन समिति के सदस्यों को अलग–अलग समय पर आमंत्रित कर उक्त पुस्तकों की समीक्षा करायी गई। चयन समिति द्वारा उपरोक्त पुरस्कारों हेतु साहित्यकारों के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। शीघ्र ही एक भव्यतापूर्वक सम्मान समारोह आयोजित कर साहित्यकारों को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

हिन्दी दिवस समारोह एवं प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना
(14 सितम्बर, 2024)

हिन्दी दिवस समारोह दिनांक 14 सितम्बर, 2024 का आयोजन आई.आर.डी.टी. सभागार सर्वेचौक, देहरादून में आयोजित किया गया। समारोह में हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, अरबी एवं फारसी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 भाषा मंत्री जी की उपस्थिति में सम्मानित/पुरस्कृत किया गया। समारोह में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर से हाईस्कूल के 85 (हिन्दी–82, उर्दू–02 एवं पंजाबी–01) एवं इण्टरमीडिएट के 12 (हिन्दी–10, उर्दू–01 एवं पंजाबी–01) छात्र/छात्राओं तथा उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून से हाईस्कूल (मुंशी) में अरबी/फारसी–02 एवं इण्टरमीडिएट (आलिम) के अरबी/फारसी–01 तथा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् मे हिन्दी विषय में पूर्व मध्यमा–01 तथा उत्तर मध्यमा–01 सहित कुल 102 मेधावी छात्र/छात्राओं को ₹ 2100/– (दो हजार एक सौ) मात्र प्रति छात्र/छात्रा को पुरस्कार राशि, स्मृति चिह्न एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

क्र स	बोर्ड का नाम	कक्षा	विषय	चयनित छात्र/छात्राओं की संख्या	अनुपस्थित छात्र/छात्राओं की संख्या	समारोह में उपस्थित/सम्मानित किए गए छात्र/छात्राओं की संख्या
1	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर	हाईस्कूल	हिन्दी	82	06	76
			उर्दू	02	–	02
			पंजाबी	01	–	01
		इण्टरमी डिएट	हिन्दी	10	–	10
			उर्दू	01	01	–
			पंजाबी	01	–	01
2	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून	हाईस्कूल (मुंशी)	फारसी	01	–	01
		हाईस्कूल (मौलवी)	अरबी	01	–	01
		इण्टरमी डिएट(आलिम)	अरबी	01	–	01
3	उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद	पूर्व मध्यमा	हिन्दी	01	–	01
		उत्तर मध्यमा	हिन्दी	01	–	01
कुल योग (1 + 2 + 3)				**102**	**07**	**95**

हिन्दी दिवस समारोह एवं प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना (14 सितम्बर, 2024)

भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा हिन्दी दिवस समारोह एवं प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना योजना के अन्तर्गत भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम वर्ग (कक्षा 6 से 8 तक) कविता एंव कहानी लेखन प्रतियोगिता तथा द्वितीय वर्ग (कक्षा 9 से 12 तक) नाटक एवं यात्रा वृत्तान्त लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें प्रत्येक में दो विषय निर्धारित किए गए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान–₹ 7000/–,द्वितीय स्थान–₹ 5000/–तृतीय स्थान– ₹ 4000/– एवं सांत्वना पुरस्कार–₹ 3000/– की पुरस्कार राशि प्रदान की गयी । प्रतियोगिता में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कुल 36 छात्र/छात्राओं को मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 भाषा मंत्री जी द्वारा पुरस्कार राशि, स्मृति चिह्न एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया। प्रतियोगिता मे सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कुल 36 छात्र/छात्राओं का विवरण निम्नवत् है :–

प्रथम वर्ग – कक्षा 06 से 08 तक (कविता लेखन)

विषय – 1– कंठों में दे गीत नये, मन को नयी कहानी दे।

क्रसं.	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्थान
1	सोनी मौर्य	8	रा.ब.इ.का. रानीपोखरी, देहरादून	प्रथम
2	आदित्या रावत	7	राजकीय जूनियर हाईस्कूल बैनोली कर्णप्रयाग चमोली	द्वितीय
3	सौजन्या	6	खिरस्ट ज्योति एकेडमी, रुद्रप्रयाग	तृतीय
4	दिव्यांशी बौठियाल	7	टॉयनी–टॉट पब्लिक स्कूल जोगीवाला, देहरादून।	सांत्वना
2– नदियाँ भागी जा रही, गाती मिलन के गीत।				
1	सक्षम गौड	8	सेन्ट जोसेफ कान्वेन्ट स्कूल रसूलपुर लालढांग, हरिद्वार।	प्रथम
2	हर्षित बड़थ्वाल	8	सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, मढ़ी चौरास, टि.ग.	द्वितीय
3	प्रियांशु मौर्य	7	रा.इ.का.मोतीनगर, हल्द्वानी	तृतीय
4	किरन पाण्डे	8	रा.क.उ.मा.वि.हरिदासपुर गदरपुर उधमसिंहनगर	सांत्वना

प्रथम वर्ग – कक्षा 06 से 08 तक (कहानी लेखन)

विषय– ज्ञान की प्यास

क्रसं.	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्थान
1	दिया चौहान	6	हिम ज्योति विद्यालय, देहरादून	प्रथम
2	प्रिया	6	ज.उ.मा.विद्यालय,ककोड़ाखाल, रुद्रप्रयाग।	द्वितीय
3	आराध्या दानी	6	दून स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल, गेबुआ कालाढूंगी, नैनीताल	द्वितीय
4	खुशबू भाकुनी	7	रा.बा.इ.का.बल्ला रामगढ़, नैनीताल	तृतीय
5	सिमरन	6	भवानी बालिका इण्टर कालेज, बल्लूपुर देहरादून।	सांत्वना

विषय– काफल का पेड़				
1	निष्ठा यादव	6	हिम ज्योति स्कूल, देहरादून	प्रथम
2	प्रिया	7	हिम ज्योति स्कूल, देहरादून	द्वितीय
3	मेघा रावत	8	पी.एम.श्री रा.बा.इ.का.कोटाबाग नैनीताल	तृतीय
4	गीता आर्या	6	रा.इ.का. जंगलियागाँव, भीमताल, नैनीताल	सांत्वना
5	महजबी अंसारी	6	रा.बा.इ.का.भवाली, नैनीताल	सांत्वना

द्वितीय वर्ग – कक्षा 09 से 12 तक (नाटक लेखन)

विषय– कुछ सवालों के जवाब चाहिए

क्रसं.	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्थान
1	दिशांत कुमार	11	बी.टी.रा.इ.का. गुरना पिथौरागढ़।	प्रथम
2	तनुजा दुम्का	12	पी.एम. श्री राजकीय बालिका इण्टर कालेज, दौलिया, हल्दूचौड़, नैनीताल	द्वितीय
3	सुषमा	12	हिम ज्योति विद्यालय, देहरादून	तृतीय
4	हर्षिता भण्डारी	12	पी.एम. श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इण्टर कालेज, नैनीताल	सांत्वना
विषय– कोतवाल और कवि				
1	जैसमिन बोहरा	09	जे.बी. मेमोरियल मानस एकेडमी, पिथौरागढ़।	प्रथम
2	मन्तशा परवीन	11	राजकीय इण्टर इण्टरमीडिएट कालेज, बुल्लावाला, देहरादून	द्वितीय
3	प्ररेणा जोशी	10	न्यू बियर शिबा स्कूल, पुलिस लाईन, पिथौरागढ़।	तृतीय
4	मीनाक्षी मेहता	12	बी.टी.रा.इ.का. गुरना पिथौरागढ़।	सांत्वना

द्वितीय वर्ग – कक्षा 09 से 12 तक (यात्रा वृत्तांत लेखन)

विषय– सपनों से सुन्दर पहाड़

क्रसं.	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्थान
1	निहारिका बिष्ट	12	रा.बा.इ.का.दौलिया, हल्दूचौड़ नैनीताल।	प्रथम
2	विनय कोहली	12	राजकीय इण्टर कालेज, बागवाला,उधमसिंहनगर	द्वितीय
3	हर्षिता रावल	10	आदर्श विद्यालय गंगोत्री .रा.बा.इ.का पिथौरागढ़।	द्वितीय
4	दिया बिष्ट	10	पी.एम.श्री अ.उ.टी.एस.बी.रा.इ.का.देवलथल, पिथौरागढ़।	तृतीय
5	सिमरन जोशी	11	रेनबो पब्लिक स्कूल चौरास (टि.ग.)	तृतीय
6	सौम्या असवाल	10	शहीद विनोद पाल सिंह बिष्ट रा.इ.का. केपार्स बासर भिलंगना (टि.ग.)	सांत्वना
विषय– पहली उड़ान				
1	मेघा वर्मा	11	भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल।	प्रथम
2	स्वाति नैथानी	10	हिम ज्योति विद्यालय, देहरादून।	द्वितीय
3	दिया जोशी	12	पी.एम.श्री अ.उ.टी.एस.बी.रा.इ.का.देवलथल, पिथौरागढ़।	तृतीय
4	विस्मित कोटनाला	11	अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेज, लाटा चमियाला(टि.ग.)	सांत्वना

भाषायी प्रतियोगिता–2024

राष्ट्रीय कुमाउनी भाषा सम्मेलन (10–12 नवम्बर, 2024)

संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंधकार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या–08(क) के अनुसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन योजना के अतर्गत विभिन्न सम्मेलनों के आयोजन के अन्तर्गत लोकभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसके अनुपालन में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं कुमांउनी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति, कसारदेवी, अल्मोड़ा के संयुक्त तत्वाव्धान में दिनांक 10–12 नवम्बर, 2024 तक **"16वीं राष्ट्रीय कुमाउनी भाषा सम्मेलन–2024"** का आयोजन स्थान–गौरिलचौड़ ऑडिटोरियम चम्पावत में आयोजित किया गया। सम्मेलन में छोलिया नाच के द्वारा वाद्‌य यंत्र–ढोल, दमू, नडार, मशकबीन, कुरि, रणसिंग दगौ बजकर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश की लोकभाषाओं व बोलियों के प्रचार–प्रसार एवं संवर्धन हेतु कुमांउनी लोक भाषा के साहित्यकारों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

पाश्चात्य वैचारिकी एवं हिन्दी साहित्य अन्तर्सम्बन्ध, प्रभाव विषयक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंधकार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या–08(क) के अनुसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन योजना के अंतर्गत विभिन्न सम्मेलनों के आयोजन के अन्तर्गत लोकभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसके अनुपालन में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गैरसैण (चमोली) के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 12–13 नवम्बर, 2024 तक **"पाश्चात्य वैचारिकी एवं हिन्दी साहित्य अन्तर्सम्बन्ध, प्रभाव विषयक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी"** का आयोजन स्थान–सभागार, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गैरसैण (चमोली) में आयोजित किया गया। संगोष्ठी मे देश, प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकारो द्वारा पाश्चात्य वैचारिकी एवं हिन्दी साहित्य अन्तर्सम्बन्ध, प्रभाव विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में प्रदेश की लोकभाषाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल जयन्ती समारोह (13 दिसम्बर, 2024)

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन के अन्तर्गत प्रख्यात दिवंगत साहित्यकारों की जयन्ती पर हिन्दी के प्रथम डी0लिट0 डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल जी की जयन्ती दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के सुअवसर पर सभागार, दून लाईब्रेरी एवं शोध केन्द्र, परेड ग्राउण्ड, देहरादून में समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल, मा0 भाषा मंत्री, विशिष्ट अतिथि श्री खजान दास, मा0 विधायक, राजपुर समारोह में उपस्थित हुए। समारोह में मुख्य वक्ता डॉ. योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण' में उपस्थित हुए। समारोह मे श्रद्धेय डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्जवलन किया एवं प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। समारोह में डॉ0 बड़थ्वाल के वंशजों एवं कुटुम्बजनों में डॉ. प्रमोद बड़थ्वाल, कर्नल बोठियाल को मा. भाषा मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन श्रीमती बीना बेंजवाल द्वारा किया गया। समारोह में आर्ष कन्या गुरुकुल की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से समारोह का शुभारम्भ किया।

शोध परियोजना

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड की भाषाओं का भाषायी सर्वेक्षण का कार्य किया गया है, जिसमें निम्नलिखित बोलियों एवं उपबोलियों के सर्वेक्षण का कार्य किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है : –

क्रम	कार्य करने वाले विद्वान का नाम	भाषा सर्वेक्षण के अन्तर्गत भाषा/बोली क्षेत्र
01	डॉ. भवानी दत्त काण्डपाल	दनपुरिया
02	डॉ. शेर सिंह पांगती	जोहारी बोली
03	श्री रतन सिंह जौनसारी	जौनसारी बोली
04	प्रो. शेर सिंह बिष्ट	कुमाऊंनी बोली, खस परजिया
05	श्रीमती अनीता चौहान	टिरियाली बोली
06	श्री महावीर रवॉल्टा,	रवाल्टी बोली
07	डॉ. सुरेश ममगाई	जाड़ बोली
08	श्री सुरेन्द्र पुण्डीर	जौनपुरी
09	डॉ. शोभा राम शर्मा,	राजी बोली
10	श्री भूपेन्द्र सिंह राणा	मारछा बोली
11	डॉ. यमुना दत्त रतूड़ी	टिरियाली बोली
12	डॉ. सुचित्रा मलिक	कौरवी बोली (खड़ी बोली)
13	श्री मुकेश नौटियाल	नागपुरी बोली

1– उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड का भाषायी सर्वेक्षण कर प्रथम खण्ड के रुप में **"जाड़ बोली का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा वैज्ञानिक अध्ययन"** का विमोचन संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंधकार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2024 को मा0भाषा मंत्री जी द्वारा किया गया। प्रथम खण्ड लेखक एवं सर्वेक्षक श्री सुरेश ममगाई अतिथि सम्पादक में डॉ. सविता मोहन, प्रो. भवानी दत्त काण्डपाल द्वारा किया गया ।

2– उत्तराखण्ड का भाषायी सर्वेक्षण द्वितीय खण्ड के रूप में **"जोहारी बोली का सांस्कृतिक समाजभाषा वैज्ञानिक एवं भाषा अध्ययन"** पुस्तक के लेखक एवं सर्वेक्षक डॉ. शेर सिंह पांगती अतिथि सम्पादक मण्डल डॉ. सविता मोहन, प्रो. भवानी दत्त काण्डपाल एवं श्री सुरेश मंमगाई द्वारा किया गया है।

3– उत्तराखण्ड का भाषायी सर्वेक्षण तृतीय खण्ड के रूप में **"जौनसारी बोली का सांस्कृतिक एक समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन"** पुस्तक के लेखक एवं सर्वेक्षक श्री रतन सिंह जौनसारी एवं अतिथि सम्पादक मण्डल डॉ. सविता मोहन, प्रो. भवानी दत्त काण्डपाल एवं श्री सुरेश मंमगाई द्वारा किया गया है।

4– उत्तराखण्ड का भाषायी सर्वेक्षण चतुर्थ खण्ड **"कुमाऊँनी बोलियों का भाषायी सांस्कृतिक एवं समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन"** पुस्तक के लेखक एवं सर्वेक्षक प्रो0 शेर सिंह बिष्ट एवं अतिथि सम्पादक मण्डल डॉ. सविता मोहन, प्रो. भवानी दत्त काण्डपाल एवं श्री सुरेश मंमगाई द्वारा किया गया है।

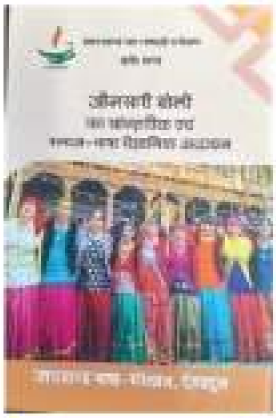

उक्त तीनों पुस्तकों का विमोचन डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल जयन्ती दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को मा0 भाषा मंत्री जी द्वारा किया गया ।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड के लोक साहित्य, कला व संस्कृति के संरक्षण एवं उत्तराखण्ड के पूर्वज साहित्यकारों के बिखरे साहित्य के संकलन एवं प्रकाशन हेतु निम्नलिखित तीन शोध परियोजनाएं संचालित की जा रही है–

01– उत्तराखण्ड की उच्च हिमालयी एवं जनजातीय भाषाओं का संरक्षण एवं अध्ययन–

वेदों की ही तरह लोक भाषा साहित्य भी अपने मूल एवं वास्तविक रूप में श्रुति परम्परा से विकसित है। उत्तराखण्ड वैविध्य से भरपूर है यहां ऊंचाई चढ़ने के साथ ही न केवल भौगोलिक परिस्थितियां बदलती है वरन् हर एक पहाड़ी पार करने पर बोली–भाषा में भी अंतर आ जाता है। उत्तराखण्ड नीती–माणा, गुंजी–बर्फू से लेकर नेटवाड़–सांकरी और तराई तक भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के अनेक रूप हैं, साथ ही उत्तराखण्ड में अनेक लोक बोलियाँ एवं भाषाएँ प्रचलन में है, इसमें दो प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएँ/बोलियां है–कुमाउंनी एवं गढ़वाली।

(क) कुमाउंनी भाषा की मुख्य दस उपबोलियां हैं–

1. कुमय्याँ 2. सोर्याली, 3.अस्कोटी, 4. सीराली,
5. खसपर्जिया, 6. चौगर्खिया, 7. गंगोली, 8. पछाईं,
9. दनपुरिया, 10. रौ–चौभैंसी

(ख) इसी प्रकार गढ़वाली भाषा की मुख्य आठ उपबोलियां **हैं–**

1. श्रीनगरी, 2. बधाणी, 3. दसौल्या, 4. माझ
5. कुम्मैया, 6. नागपुरिया, 7. सलाणी, 8. राठी,
9. टिहरयाली

पूर्व में टिहरी गढ़वाल की रियासत होने के कारण टिहरी जिले कि कुछ उपबोलियां है जैसे– 1. टकनौरी–बाड़ाहटी, 2. रमोल्या, 3. जौनपुरी, 4. रवांल्टी,
5. बडियारगड्डी, 6. टिहरियाली।

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड में अनेक जनजातीय भाषा बोलियाँ भी प्रचलन में है, जैसे– 01– राजी 02– बोक्सा, 03– भोटिया, 04– तोल्छा 05– मारछा, 06– गूजरी, 07– जौनसारी, 08 – रं, 09– जोहारी, 10– थारू, 11– रवाल्टी, 12– जौनपुरी, 13– कौरवी, 11– शौका, 12– दरमियां, 13– चौंदासी, 14– व्यासी, 15– जाड़ ।

उक्त बोली–भाषाओं को बोलने वालों की कला, साहित्य, लोक गीत–संगीत, परम्परा, संस्कृति, उत्सव, त्योहार, खान–पान आदि अलग–अलग हैं, इन बोली भाषाओं में कुछ भाषाऐं खतरे की जद में हैं, उन्हें संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक है।

2– प्रख्यात नाट्यकार 'गोविन्द बल्लभ पंत' का समग्र साहित्य संकलन–

हिन्दी साहित्य को सवांरने सजानेवाली आरंभिक पीढ़ी के मूर्धन्य साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत जिन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक विषयों पर लेखन के लिए चर्चित और ऐकांकी लेखन के रूप में व्यापक पहचान बनाई, साथ ही अनेक उपन्यास एवं कहानियाँ भी लिखी। वर्ष–1916 में काव्य लेखन से साहित्यिक यात्रा प्रारंभ की, वर्ष–1920 में मेरठ की नाटक कंपनी के लिए नाट्य लेखन की शुरूआत की और सन् 1946–1954 के बीच मुंबई में पृथ्वी थियेटर्स एवं साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग एवं नवनीत के संपादकीय विभाग में कार्य किया। श्री पंत जी को वर्ष–1958 में आकाशवाणी के गीत एवं नाटक प्रभाग में नियुक्ति मिली और यहीं से वर्ष–1970 में सेवानिवृत्त हुए। पंत जी द्वारा 19–नाटक, 02–एकांकी संग्रह, 46–उपन्यास एवं 05–कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के गीत एवं नाटक प्रभाग के लिए 08 नाट्य प्रस्तुतियाँ तैयार की, उनकी प्रमुख रचनाऐं निम्नवत हैं–

क्र. सं.	रचना का नाम	क्रम सं.	रचना का नाम
01	कोहिनूर का हरण	20	अंधेरे में उजाला
02	निहारिका	21	परिचारिका
03	रूपगंगा	22	प्रगति के चार रूप
04	डजाली	23	धर्मचक्र
05	ध्वंस और मिर्माण	24	कनक कमल
06	संशय का आखेट	25	कश्मीर की क्लियोपेट्रा
07	रजिया	26	वाला बंजारा
08	तीन दिन	27	प्रतिमा
09	ज्वार	28	मदारी
10	अमिताभ	29	जूनिया
11	नूरजहा	30	तारिका

12	चन्द्रकांत	31	अनुरागिनी
13	मुक्ति के बंधन	32	एक सूत्र
14	प्रगति की राह	33	जलसमाधी
15	यामिनी	34	फारगेट मी नाट
16	नौजवान	35	मैत्रेण
17	तारों के सपने	36	कागज की नाव
18	वरमाला	37	राजमुकुट
19	सुहागबिंदी	38	सोने के देवता

गोविंद बल्लभ पंत को निम्नलिखित पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है–

01. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का विशिष्ट पुरस्कार (1977–78)
02. उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का अकादमी पुरस्कार (1987–88)
03. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का साहित्य भूषण पुरस्कार (1993)
04. कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट् की मानद उपाधि (1994)

हिन्दी साहित्य की 75 वर्ष तक अनवरत श्रीवृद्धि करने वाले इस महान रचनाकार का साहित्य अब तक उपेक्षित ही रहा है, केवल उनके कुछ नाटकों का उल्लेख मात्र ही मिलता है। अधिकांश आलोचक उन्हें केवल नाट्यकार ही मानते हैं, जबकि उन्होंने नाटक से अधिक उपन्यास लिखे हैं, पंत जी का साहित्य अगाध है, वर्तमान में आवश्यक है कि उत्तराखण्ड के ऐसे रचनाकार का परिचय सर्वविदित हो और हिन्दी के पाठकों तक उनकी अधिकतम रचनाओं को पहुंचाने का कार्य हो, इसी उद्देश्य के लिए भाषा संस्थान द्वारा प्रख्यात नाट्यकार 'गोविन्द बल्लभ पंत का समग्र साहित्य संकलन' के लिए योजना प्रारंभ की गयी है।

3– उत्तराखण्ड के पूर्वज साहित्यकारों का साहित्य संकलन –

मानव सभ्यता के विकास के साथ ही साहित्य की सदैव समाज में प्रमुख भूमिका रही है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान पत्र–पत्रिकाओं में विद्यमान क्रान्ति की ज्वाला क्रान्तिकारियों से कम प्रखर नहीं थी। इनमें प्रकाशित रचनायें जहाँ स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक मजबूत आधार प्रदान करती थी, वहीं लोगों में आजादी की भावना भी प्रस्फुलित करती थी। भारतीय पत्रकारिता का उदय राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए ही हुआ।

उस समय अधिकतर लेखक संसाधनों के आभाव में पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पाते थे, वह अपने अधिकतर लेख पत्र–पत्रिकाओं में ही प्रकाशित करते थे। कालांतर में इस धरा पर सुमित्रानंदन पंत, डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, महादेवी वर्मा, गुमानी पंत, मौलाराम, रत्नाम्बर दत्त चन्दोला 'रत्न', भजन सिंह 'सिंह', गौरा पन्त शिवानी, हिमांशु जोशी, गोविन्द चातक, इलाचन्द्र जोशी, गोविन्द बल्लभ पंत, तारा पाठक, श्रीदेव सुमन, बुद्धिबल्लभ थपलियाल, शैलेश मटियानी, हरिदत्त भट्ट शैलेश, अबोध बन्धु बहुगुणा, मंगलेश डबराल, शेर सिंह मेहता कुमाउंनी, मोहन लाल बाबुलकर, मनोहर श्याम जोशी आदि अनेक लेखकों ने अपनी लेखनी से हमें गौरवान्वित किया है।

03– इन साहित्यकारों द्वारा सृजित साहित्य लगभग 30 से 100 वर्ष पूर्व हिन्दी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित पत्रिकायें जैसे–सरस्वती, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, चांद, माधुरी, विशालभारत, वीणा, सुधा, कल्याण आदि में प्रकाशित हुए हैं, जो देश के विभिन्न पुस्तकालयों एवं व्यक्तिगत संग्रहों में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में विनष्ट होनी की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में इन पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य की छाया प्रति प्राप्त करते हुए संदर्भ ग्रन्थ सूची तैयार कर प्रकाशित किया जाना अतिआवश्यक है।

उक्त तीनों शोध परियोजनाओं हेतु साहित्यकारों/संकलनकर्ताओं आदि से निम्नानुसार विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन प्राप्त कर लिए गये हैं, यथाशीघ्र ही योजना का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

संस्थान की शोध पत्रिका का प्रकाशन

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अपनी शोध पत्रिका **'उद्गाता'** का प्रकाशन ''लोक साहित्य'' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। उद्गाता में प्रदेश के साहित्यकारों द्वारा प्रदेश की लोक भाषाओं पर आधारित विषयों पर लेख प्राप्त कर लिए गए है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र.सं.	साहित्यकार का नाम	विषय
1.	डॉ दिनेश चन्द्र बलूनी	उत्तराखण्ड की जनजातियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण।
2.	प्रो. देव सिहं पोखरिया	उत्तराखण्ड के भाषा–समुदाय
3.	श्री महावीर रवांल्टा	अनवरत जारी है रवांल्टी की सृजन यात्रा
4.	डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल	गढवाली भाषा का उद्भव व विकास एवं उसकी बोलियाँ का साहित्य
5.	डॉ. जगदीश पंत "कुमुद"	बुक्सा जनजाति का भाषिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण।
6	डॉ. नवीन चन्द्र लोहनी	साहित्य और साहित्यकार : प्रवासी, अप्रवासी, अनिवासी, भारतवंशी, विदेशी
7	डॉ. नन्द किशोर हटवाल	गढवाली भाषा का मानकीकरण : हमारे समय की चुनौती
8	श्री दिनेश कर्नाटक	भाषा विस्थापन तथा द्विभाषिकता
9.	श्री अनिल कुमार कार्की	कुमाउंनी भाषा–बोली के प्रमुख साहित्यकार एवं उनका लेखन
10.	डॉ. पवनेश ठकुराठी	लोकधर्मी रचनाकार शैलेश मटियानी
11.	श्रीमती बीना बेंजवाल	गढ़वाली भाषा में लकड़ी संबंधी शब्दावली
12.	श्री आशीष सुन्दरियाल	गढ़वाली भाषा : उद्भव, विकास एवं सृजन परंपरा
13	डॉ. सुशील उपाध्याय	कौरवी बोली का स्वरूप और भौगोलिक क्षेत्र
14.	श्री अनूप तिवारी	हमरि जड़ छु बोलि न
15.	श्री केशर सिहं राय	जौनसारी जनजाति का भाषिक, समाजिक एवं संस्कृतिक विश्लेषण।
16.	श्री गोपाल सिहं बोरा	वचन दान

'उद्गाता' के षष्ठ अंक का प्रकाशन लोक साहित्य पर किया जाना है, जिसके प्रकाशन की कार्यवाही गतिमान है, यथाशीघ्र 'उद्गाता' के षष्ठ अंक प्रकाशित कर लिया जायेगा।

विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर उत्तराखण्ड के लेखकों से पाण्डुलिपियां प्राप्त की गयी, उक्त पाण्डुलिपियों में से विभिन्न भाषाओं में श्रेष्ठ पाण्डुलिपियों का चयन कर निम्नलिखित 45–साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान प्रदान किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है –

भाषा/विधा	क्रम	लेखक का नाम	पाण्डुलिपि
हिन्दी	01	डॉ.उमेश चन्द्र चमोला	उत्तराखण्ड की एक सौ बालोपयोगी लोककथाए
	02	डॉ.सविता मोहन	कहानीकार सुभाष पंत
	03	श्री एम.आर.ध्यानी	गंगा गाथा
	04	डॉ. नन्द किशोर हटवाल	जमन दास ढोली (हिंदी नाटक)
	05	डॉ. नागेन्द्र ध्यानी 'अरूण'	ऐतिहासिक महाकाव्य छात्रपति शिवाजी
	06	डॉ. राजेश कुमार जैन	मोक्षदाता श्री बदरीनाथ
	07	श्री जागेश्वर प्रसाद जोशी,	हिमवंतवासी (कथा संग्रह)
	08	डॉ. पीताम्बर अवस्थी	उत्तराखण्ड के जागर एवं मंत्र
	09	डॉ. प्रदीप कुमार उपाध्याय	हम और हमारी संस्कृति
	10	श्री प्रकाश चन्द्र पुनेठा	सोर का लोक और सैन्य आलोक
	11	श्री राजकुमार सिंह पंवार	अब हुआ सवेरा
	12	श्री देवेन्द्र नैथानी	ईश्वर का पता पूछता है पहाड (कविता संग्रह)
	13	श्रीमती बीना नौटियाल 'प्रमोद'	पौराणिक कथाऐं (कविता संग्रह)
	14	श्री प्रदीप डबराल	तरंग
	15	डॉ. राजेश कुमार डोभाल	श्रद्धांजलि (पत्रिका)
	16	डॉ.मंजू पाण्डे 'उदिता'	दशा दिशा और दृष्टि
	17	श्री मनोहर चमोली 'मनू'	कथा पोथी बच्चो की (बाल कहानियॉ)
	18	श्री शूरवीर रावत	चमकीली चादर पर मटमेले आखर (गांव के संस्मरण)
	19	डॉ.परमानन्द चौबे	डायरी के पन्ने
	20	शशिभूषण बडोनी	कुछ किताबे : कुछ बाते
	21	डॉ.सत्यानन्द बडोनी	उत्तराखंड हिमालय (भाषा,साहित्य,संस्कृति व पर्यटन)
	22	श्रीमती आशा शैली,	सुधि की सुगन्ध (कविता संग्रह)
	23	श्रीमती कुसुम भट्ट	जोगणी (कहानी संग्रह)

	24	श्री देवेश जोशी	उत्तराखण्ड में रिवर्स माइग्रेशन
	25	श्री नीरज कुमार नैथानी	मेरी चयनित विदेश यात्राएं
	26	श्रीमती शमा खान,	रिस्पना (कहानी संग्रह)
	27	श्री व्योमेश चन्द्र जुगरान	पहाड के हाड
	28	कु. विनीता जोशी,	चट्टान पर बैठी औरत
गढ़वाली	01	श्री चन्दन	खुदेदु प्राण (आपणि बात)
	02	श्री धर्मेन्द्र सिंह नेगी	थौळु खरैगे (गढ़वालि कहानि संग्रै)
	03	श्री सुरेश स्नेही	टरकणि (गढवाळि काव्य संग्रै)
	04	श्री कुलानंद घनशाला	भागै भताक
	05	श्री बलवीर सिंह	बिदै अर होर कानियां
	06	डॉ. सुरेन्द्र दत्त सेमल्टी	उत्तराखण्ड की लोक कथायें
	07	श्री गोविन्द राम पोखरियाल	रौंत्यलि धरनि अर मनखि (गढवाली भाषा का हाइकूसंग्रह)
	08	साईनी कृष्ण उनियाल	पाड की नारी
	09	उपासना सेमवाल	धियाण
कुमाउंनी	01	डॉ. मोहन चन्द्र पंत	कुमाउँनी लोककथाएं
	02	श्रीमती तारा पाठक	दुर्गूण (कुमांऊनी कहानियाँ)
	03	श्री गोविन्द बल्लभ बहुगुणा	मानस खण्ड मन्दिर माला (कुमांऊनी रिपोर्ताज)
	04	श्री खुशहाल सिंह खनी	बर्यात कुमांउनी कहानी संग्रह
	05	श्री दामोदर जोशी 'देवांशु'	गद्य–गागर
जौनसारी	01	श्री दिनेश रावत	रवांल्टी शब्दकोश (हिन्दी–रवांल्टी–अंग्रेजी)
	02	श्री केशर सिंह राय	लोकगीत : सांस्कृतिक विरासत एवं लोक गाथाएं
उर्दू	01	अताए साबिर (अफजल मंगलौरी)	''तेरे बाद'' (उर्दू गजल संग्रह)

उक्त योजना के हिन्दी, गढ़वाली, कुमांउनी, जौनसारी एवं उर्दू भाषा के उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु उपरोक्त 45–साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

उत्तराखण्ड की लोक कथाओं का प्रकाशन

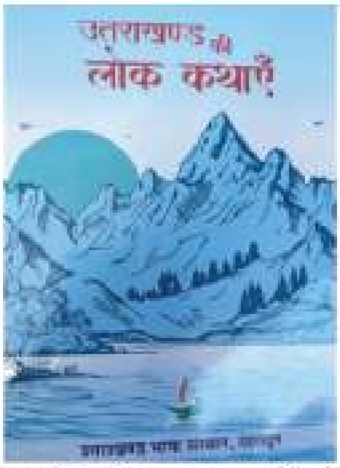

लोक साहित्य मानव सभ्यता जितना ही पुराना है लोक साहित्य मौखिक और लिखित परंपराओं की एक विशाल विधा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है, इसकी उत्पत्ति प्राचीन संस्कृतियों की मौखिक कहानी कहने की परंपराओं में देखी जा सकती है, लोक साहित्य के शुरूआती रूप मिथक और किंवदंतियां थी, जो प्राकृतिक दुनियां के रहस्यों, मावनता की उत्पत्ति और देवताओं और आत्माओं के कामकाज की व्याख्या करती थीं। समय के साथ लोक साहित्य में लोक कथाओं, दंत कथाओं, गाथागीतों, कहावत्तों, पहेलियों और चुटकुलों जैसे विभिन्न रूपों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ। लोक साहित्य में पाठकों एवं श्रोताओं को प्रदान करने के लिए अक्सर एक नैतिक उदेश्य और नैतिक संदेश होता है, लोक साहित्य की विशेषता उसकी सरलता और सुगमता है, इसमें अक्सर सीधी–साधी भाषा, सरल प्लॉट और जाने पहचाने किरदारों का उपयोग किया जाता है जिन्हें समझना और उनसे जुड़ाव आसान होता है।

उत्तराखण्ड धार्मिक, सांस्कृतिक, कला एवं लोक परंपाराओं का राज्य है, उत्तराखण्ड में भी अनेकानेक लोकभाषाओं का समावेश है, जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं समय–समय पर अनेक साहित्यकारों ने उत्तराखण्ड में बोली जा रही बोलियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, उत्तराखण्ड में मुख्य रूप से गढ़वाली, कुमाउंनी, जौनसारी, जौनपुरी, रवांल्टी, बंगाणी, मार्च्छा, थारू, बुक्साणी, राजी, रं, जोहारी, रंङ्लू जाड आदि प्रमुख हैं।

उत्तराखण्ड की उक्त बोलियों एवं उपबोलियों में अनेक लोक कथाओं, दंत कथाओं, गाथागीतों, कहावत्तों, पहेलियों आदि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, अनेक साहित्यकारों द्वारा अपने संसाधनो से कुछ लोक साहित्यक को प्रकाशित कर पाठकों के समक्ष लाया जाता है, किन्तु अधिकतर लोक साहित्य का संरक्षण न होने के कारण क्षीण हो रहा है, अतः भाषा संस्थान का परम कर्तव्य है कि उत्तराखण्ड के लोक साहित्य के संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार के लिए साहित्यकारों को प्रोत्साहित करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थान द्वारा प्रदेश के साहित्यकारों से लोक कथाऐं आमन्त्रित करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर लेख आमंत्रित कर प्रकाशन कराया गया। उक्त पुस्तक का विमोचन मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 भाषा मंत्री जी द्वारा हिन्दी दिवस (14 सितम्बर, 2024) को किया गया।

पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों का क्रय

शिक्षा का प्रसारण एवं जनसामान्य को सुशिक्षित करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है, जो लोग स्कूलों या कालेजों में नहीं पढ़ पाते, विभिन्न विषयों पर शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों, साधारण पढ़े–लिखे व्यक्तियों, अथवा जिनकी पढ़ने की अभिलाषा है और पुस्तकें नहीं खरीद सकते तथा अपनी रुचि का साहित्य पढ़ना चाहते हैं, एसे वर्गों की रुचि को ध्यान में रखकर जनसाधारण की मॉग एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कर की जा सकती है। एक राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय–राष्ट्रीय, क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों में लिखित साहित्य, शोध प्रबन्ध, शोध ग्रन्थ, स्कूली शिक्षा, इन्जीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासनिक प्रबन्धकीय आदि अन्य से सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो, वृहद पुस्तकालय भवन, जिसमें पुस्तकालय, वाचनालय के अतिरिक्त समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो, की स्थापना भाषा संस्थान में की जानी प्रस्तावित है। वर्तमान में भाषा संस्थान के पुस्तकालय में 7 हजार से अधिक पुस्तकें विद्यमान है। उक्त हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आधुनिक संयुक्त पुस्तकालय की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संस्थान कार्यालय में पुस्तक क्रय के अन्तर्गत साहित्य, शोध प्रबन्ध, शोध ग्रन्थ, स्कूली शिक्षा, प्रशासनिक प्रबन्धकीय आदि अन्य से सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकें क्रय किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही संस्थान पुस्तकालय में एक वाचनालय स्थापित किया जा रहा है। जिसका उपयोग परीक्षा लाईब्रेरी के रुप में किया जायेगा। जिसमें प्रतियोगितात्मक अध्ययन हेतु छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु स्थापित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान का आय–व्ययक
वित्तीय वर्ष 2024–25
(01.04.2024 से 10.02.2025 तक)

अनुदान संख्या – 11
2202– सामान्य शिक्षा
05– भाषा विकास
102– आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन,
04– उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान

(धनराशि रु. में)

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून							
वित्तीय वर्ष 2024–25 आय–व्यय विवरण							
(01/04/2024 से 10/02/2025 तक)							
मद योजना का नाम	प्राविधानित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि	बैंक खाते में स्थानान्तरित धनराशि	व्यय धनराशि	शेष धनराशि (4–5)	स्वीकृत के सापेक्ष शेष (3–4)	प्राविधानित के सापेक्ष शेष (2–3)
1	2	3	4	5	6	7	8
05– वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00
08– पारिश्रमिक	5,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,428,997.00	1,071,003.00	-	500,000.00
56– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,771,648.00	5,228,352.00	-	20,000,000.00
योग	**40,000,000.00**	**14,500,000.00**	**14,500,000.00**	**8,200,645.00**	**6,299,355.00**	-	**25,500,000.00**

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधीन संचालित उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी की वर्ष–2025–26 में प्रस्तावित योजनाएँ

01. साहित्यकारों का सम्मान –

साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से समाज को एक सही दिशा देने का महनीय कार्य करता है। समाज के इन युग पुरोधा पुरुषों का सम्मान करना संस्थान का पूनीत कर्तव्य है। इस कार्य में संलग्न विद्वानों को अग्रिम पंक्ति के आलोक में लाकर प्रोत्साहित किया जा सके, के लिए संस्थान ने पुरस्कार सम्मान योजना को अपनी वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया है, जिसे कार्य रूप में परिणत करने के उद्देश्य से वर्ष 2025–26 में "उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान" योजना संचालित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष–2025 में संस्थान द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाने प्रस्तावित है–

पुरस्कार	विषय	पुरस्कार का नाम	विधा
उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान	विषय की बाध्यता नहीं है।	उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान	आजीवन साहित्य सृजन, साहित्य सेवा एवं साहित्य में विशेष योगदान के लिए शीर्षस्थ साहित्यकारों को यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार	हिन्दी साहित्य	सुमित्रा नन्दन पंत पुरस्कार	हिन्दी भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इस भाषा की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	लोक भााषा/लोक साहित्य	गुमानी पंत पुरस्कार	कुमाउनी बोली,भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
		भजन सिंह 'सिंह' पुरस्कार	गढ़वाली बोली भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
		गोविन्द चातक पुरस्कार	अन्य उत्तराखण्ड की बोलियों एवं उपबोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	उर्दू	प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार	उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत उर्दू साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	पंजाबी	अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार	पंजाबी में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत पंजाबी साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन सम्मान	हिन्दी भाषा	गौरा पन्त 'शिवानी' पुरस्कार	हिन्दी भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इस भाषा की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।

बाल साहित्य लेखन	हिन्दी एवं लोक भाषा	मगलेश डबराल पुरस्कार	हिन्दी एवं लोक भाषा में उत्कृष्ट बाल साहित्य सृजन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार	हिन्दी	महादेवी वर्मा पुरस्कार	महाकाव्य / खण्डकाव्य / काव्य रचना
		शैलेश मटियानी पुरस्कार	कथा साहित्य
		डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल पुरस्कार	अन्य गद्य विधाऐं
	कुमाउंनी	बहादुर बोरा पुरस्कार	समस्त गद्य विधाऐं
		शेर सिंह बिष्ट 'अनपढ़' पुरस्कार	समस्त पद्य विधाऐं
	गढ़वाली	भवानीदत्त थपलियाल पुरस्कार	समस्त गद्य विधाऐं
		कन्हैयालाल डंडरियाल पुरस्कार	समस्त पद्य विधाऐं
उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदयमान सम्मान	हिन्दी	चन्द्रकुवर वर्त्वाल पुरस्कार	हिन्दी साहित्य में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	कुमाउनी	गीरीश तिवारी गिर्दा पुरस्कार	कुमाउनी लोक साहित्य में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	गढ़वाली	विद्या सागर नौटियाल पुरस्कार	गढ़वाली लोक साहित्य में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	अन्य भाषा / बोली		अन्य भाषा एवं बोली में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
साहित्यिक पत्र–पत्रिका लेखन पुरस्कार	पत्र / पत्रिकाएं (हिन्दी एवं लोक भाषा)	भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार	साहित्य में मासिक / द्वैमासिक / त्रैमासिक पत्रिकाओं पर

02. उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान –

उत्तराखण्ड के ऐसे रचनाकार जो वर्तमान में उत्कृष्ट साहित्य की रचना कर रहे है, को विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में आंशिक आर्थिक अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। यह योजना शासन द्वारा बनाई गये नियम / विनियम के अनुरूप संचालित की जानी प्रस्तावित है। इस योजना का उद्देश्य अधिकाधिक श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन के माध्यम से भाषाओं / बोलियों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकसित करने का है।

03. कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

01. लोक भाषाओं के मानकीकरण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन– उत्तराखण्ड में कुमाउंनी एवं गढ़वाली भाषा के बोलने वालों की संख्या अधिक है इन भाषाओं के लेखन में शब्दों का औच्चारणिक विभेद है। गढ़वाली एवं कुमाउनी बोली भाषा के औच्चारणिक एवं वर्तनी के मानकीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। अतः भाषा संस्थान द्वारा लोक भाषाओं के औच्चारणिक एवं वर्तनी के मानकीकरण हेतु भाषाविदों की कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त शिविर गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

02. लोक भाषाओं का सरलतम पाठयक्रम तैयार करने हेतु कार्यशाला– नई शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड के साथ मिलकर लोक बोली एवं भाषाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छोटे बच्चों के लिए कहानी, लघुकथा, नाटक, एवं पाठ्यक्रम से संबंधित छोटी–छोटी पुस्तकों को तैयार करने के लिए साहित्यकारों की कार्यशाला आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

03. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन – किशोरों एवं युवाओं में कुमाउंनी, गढ़वाली एवं अन्य लोक बोली व भाषाओं के प्रयोग/लेखन/अनुरक्षण की भावना को लेकर उनमें भाषिक कौशल एवं अभिरूचि उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

04. भाषायी प्रतियोगिताओं का आयोजन–

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड के प्रमुख स्थानों में विभिन्न भाषायी प्रतियोगितायें आयोजन करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषा संस्थान प्रत्येक जनपद में प्राथमिक से विद्यालयी स्तर के बच्चों हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रतियोगिता का आयोजन निम्नवत् किया जाना प्रस्तावित है।

(I) जनपद स्तरीय भाषायी प्रतियोगिताएँ –

संस्थान द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं अपनी भाषाओं के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के उद्देश्य से 06 प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित करने का प्रस्ताव है– **(क)** नाटक प्रतियोगिता **(ख)** समूहगान प्रतियोगिता **(ग)** नृत्य प्रतियोगिता **(घ)** निबन्ध लेखन प्रतियोगिता **(ङ)** आशुभाषण प्रतियोगिता **(च)** कविता एवं कहानी लेखन प्रतियोगिता

उक्त सभी कार्यक्रम जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाना प्रस्तावित है, कार्यक्रम पर होने वाला व्यय प्रस्तावानुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। भाषा संस्थान इस प्रकार के कार्यक्रम पर अपना पर्यवेक्षण रखेगा।

(II) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता–

जनपद स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। यह कार्यक्रम भाषा संस्थान मुख्यालय में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

05. शोध परियोजना –

(क) उत्तराखण्ड की उच्च हिमालयी एवं जनजातीय भाषाओं का संरक्षण एवं अध्ययन– वेदों की ही तरह लोक भाषा साहित्य भी अपने मूल एवं वास्तविक रूप में श्रुति परम्परा से विकसित है। उत्तराखण्ड वैविध्य से भरपूर है यहां ऊंचाई चढ़ने के साथ ही न केवल भौगोलिक परिस्थितियां बदलती है वरन् हर एक पहाड़ी पार करने पर बोली–भाषा में भी अंतर आ जाता है। उत्तराखण्ड नीती–माणा, गुंजी–बर्फू से लेकर नेटवाड़–सांकरी और तराई तक भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के अनेक रूप हैं, साथ ही उत्तराखण्ड में अनेक लोक बोलियाँ एवं भाषाएँ प्रचलन में है, इसमें दो प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएँ/बोलियां है–कुमाउंनी एवं गढ़वाली।

(क) कुमाउंनी भाषा की मुख्य दस उपबोलियां हैं–

1. कुमय्याँ 2. सोर्याली, 3.अस्कोटी, 4.सीराली,
5. खसपर्जिया, 6.चौगर्खिया, 7. गंगोली, 8. पछाईं,
9. दनपुरिया, 10. रौ–चौभैंसी

(ख) इसी प्रकार गढ़वाली भाषा की मुख्य आठ उपबोलियां **हैं–**

1. श्रीनगरी, 2. बधाणी, 3. दसौल्या, 4. माझ
5. कुम्मैया, 6. नागपुरिया, 7. सलाणी, 8. राठी,
9. टिहरयाली

पूर्व में टिहरी गढ़वाल की रियासत होने के कारण टिहरी जिले कि कुछ उपबोलियां है जैसे– 1. टकनौरी–बाड़ाहटी, 2. रमोल्या, 3. जौनपुरी, 4. रवांल्टी, 5. बडियारगड्डी, 6. टिहरियाली

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड में अनेक जनजातीय भाषा बोलियाँ भी प्रचलन में है, जैसे– 01– राजी 02– बोक्सा, 03– भोटिया, 04– तोल्छा,

05– मारछा, 06– गूजरी, 07– जौनसारी, 08– रं,

09– जोहारी, 10– थारू, 11– रवाल्टी, 12– जौनपुरी,

13– कौरवी, 11– शौका, 12– दरमियां, 13– चौंदासी,

14– व्यासी, 15– जाड़

उक्त बोली–भाषाओं को बोलने वालों की कला, साहित्य, लोक गीत–संगीत, परम्परा, संस्कृति, उत्सव, त्योहार, खान–पान आदि अलग–अलग हैं, इन बोली भाषाओं में कुछ भाषाऐं खतरे की जद में हैं, उन्हें संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक है।

(ख) प्रख्यात नाट्यकार 'गोविन्द बल्लभ पंत' का समग्र साहित्य संकलन–

हिन्दी साहित्य को सवारने सजानेवाली आरंभिक पीढ़ी के मूर्धन्य साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत जिन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक विषयों पर लेखन के लिए चर्चित और ऐकांकी लेखन के रूप में व्यापक पहचान बनाई, साथ ही अनेक उपन्यास एवं कहानियाँ भी लिखी। वर्ष–1916 में काव्य लेखन से साहित्यिक यात्रा प्रारंभ की, वर्ष–1920 में मेरठ की नाटक कंपनी के लिए नाट्य लेखन की शुरूआत की और सन् 1946–1954 के बीच मुंबई में पृथ्वी थियेटर्स एवं साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग एवं नवनीत के संपादकीय विभाग में कार्य किया। श्री पंत जी को वर्ष–1958 में आकाशवाणी के गीत एवं नाटक प्रभाग में नियुक्त मीली और यहीं से वर्ष–1970 में सेवानिवृत्त हुए। पंत जी द्वारा 19–नाटक, 02–एकांकी संग्रह, 46–उपन्यास एवं 05–कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के गीत एवं नाटक प्रभाग के लिए 08–नाट्य प्रस्तुतियाँ तैयार की, उनकी प्रमुख रचनाऐं निम्नवत हैं–

क्र.सं.	रचना का नाम	क्र.सं.	रचना का नाम
01	कोहिनूर का हरण	20	अंधेरे में उजाला
02	निहारिका	21	परिचारिका
03	रूपगंगा	22	प्रगति के चार रूप
04	डजाली	23	धर्मचक्र

05	ध्वंस और मिर्माण	24	कनक कमल
06	संशय का आखेट	25	कश्मीर की क्लियोपेट्रा
07	रजिया	26	वाला बंजारा
08	तीन दिन	27	प्रतिमा
09	ज्वार	28	मदारी
10	अमिताभ	29	जूनिया
11	नूरजहा	30	तारिका
12	चन्द्रकांत	31	अनुरागिनी
13	मुक्ति के बंधन	32	एक सूत्र
14	प्रगति की राह	33	जलसमाधी
15	यामिनी	34	फारगेट मी नाट
16	नौजवान	35	मैत्रेण
17	तारों के सपने	36	कागज की नाव
18	वरमाला	37	राजमुकुट
19	सुहागबिंदी	38	सोने के देवता

गोविंद बल्लभ पंत को निम्नलिखित पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है–

01. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का विशिष्ट पुरस्कार (1977–78)

02. उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का अकादमी पुरस्कार (1987–88)

03. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का साहित्य भूषण पुरस्कार (1993)

04. कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट् की मानद उपाधि (1994)

हिन्दी साहित्य की 75 वर्ष तक अनवरत श्रीवृद्धि करने वाले इस महान रचनाकार का साहित्य अब तक उपेक्षित ही रहा है, केवल उनके कुछ नाटकों का उल्लेख मात्र ही मिलता है। अधिकांश आलोचक उन्हें केवल नाटयकार ही मानते हैं, जबकि उन्होंने नाटक से अधिक उपन्यास लिखे हैं पंत जी का साहित्य अगाध है, वर्तमान में आवश्यक है कि उत्तराखण्ड के ऐसे रचनाकार का परिचय सर्वविदित हो और हिन्दी के पाठकों तक उनकी अधिकतम रचनाओं को पहुंचाने का कार्य हो, इसी उद्देश के लिए भाषा संस्थान द्वारा प्रख्यात नाट्यकार 'गोविन्द बल्लभ पंत का समग्र साहित्य संकलन' के लिए योजना प्रारंभ की गयी है।

(ग) उत्तराखण्ड के पूर्वज साहित्यकारों का साहित्य संकलन– मानव सभ्यता के विकास के साथ ही साहित्य की सदैव समाज में प्रमुख भूमिका रही है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान पत्र–पत्रिकाओं में विद्यमान क्रान्ति की ज्वाला क्रान्तिकारियों से कम प्रखर नहीं थी। इनमें

प्रकाशित रचनायें जहाँ स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक मजबूत आधार प्रदान करती थी, वहीं लोगों में आजादी की भावना भी प्रस्फुलित करती थी। भारतीय पत्रकारिता का उदय राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए ही हुआ। उस समय अधिकतर लेखक संसाधनों के आभाव में पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पाते थे, वह अपने अधिकतर लेख पत्र–पत्रिकाओं में ही प्रकाशित करते थे। कालांतर में इस धरा पर सुमित्रानंदन पंत, डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, महादेवी वर्मा, गुमानी पंत, मौलाराम, रत्नाम्बर दत्त चन्दोला 'रत्न', भजन सिंह 'सिंह' गौरा पन्त शिवानी, हिमांशु जोशी, गोविन्द चातक, इलाचन्द्र जोशी, गोविन्द बल्लभ पंत, तारा पाठक, श्रीदेव सुमन, बुद्धिबल्लभ थपलियाल, शैलेश मटियानी, हरिदत्त भट्ट शैलेश, अबोध बन्धु बहुगुणा, मंगलेश डबराल, शेर सिंह मेहता कुमाउंनी, मोहन लाल बाबुलकर, मनोहर श्याम जोशी आदि अनेक लेखकों ने अपनी लेखनी से हमें गौरवान्वित किया है।

03– इन साहित्यकारों द्वारा सृजित साहित्य लगभग 30 से 100 वर्ष पूर्व हिन्दी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित पत्रिकायें जैसे–सरस्वती, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, चांद, माधुरी, विशालभारत, वीणा, सुधा, कल्याण आदि में प्रकाशित हुए हैं, जो देश के विभिन्न पुस्तकालयों एवं व्यक्तिगत संग्रहों में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में विनष्ट होनी की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में इन पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य की छाया प्रति प्राप्त करते हुए संदर्भ ग्रन्थ सूची तैयार कर प्रकाशित किया जाना अतिआवश्यक है।

(घ) उत्तराखण्ड में बोली जा रही भाषा एवं बोलियों का दस्तावेजीकरण –

जैसा कि विदित है कि देश और समाज की संस्कृति की प्रमुख संवाहक भाषा होती है। भाषा मात्र विचारों की संवाहक नहीं है अपितु देश व समाज के ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक विचारों, आन्दोलनों साहित्य की विभिन्न धाराओं की भी संरक्षिका है।

उत्तराखण्ड में वैदिक काल में संस्कृत का प्रचलन था, जिसके पुष्ट प्रमाण पुराणों, उपनिषदों, कालिदास के साहित्य आदि में उपलब्ध है, शौरसेनी अपभ्रंश से उद्भव होने वाली उत्तराखण्ड की दोनों प्रमुख बोलियाँ गढ़वाली व कुमाउँनी तत्कालीन शासकों की राजभाषा भी रही हैं। कालान्तर में सम्पूर्ण देश के साथ–साथ ही इस राज्य ने भी राष्ट्रीय आन्दोलनों, सुधार कार्यों एवं समाचार पत्रों के माध्यम के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया।

उत्तराखण्ड बहुभाषी प्रदेश है, यहाँ भारतीय भाषाओं को बोलने वाले अधिसंख्य लोग निवास करते हैं। यहाँ की बोलियों का विकास भी संस्कृत एवं अन्यान्य भारतीय भाषा सम्पदा से

हुआ है। उत्तराखण्ड की भाषा/बोलियों का वैज्ञानिक प्रविधि से सर्वेक्षण किया जाना अभी शेष है। डॉ. ग्रिर्यसन के बाद कोई भी महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य नहीं हो पाया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उपर्युक्त बोलियों/भाषाओं में कालान्तर में आए परिवर्तन, इन भाषा/बोलियों में रचे गए/लिखे गए, साहित्य की गुणवत्ता, जनता का भाषिक विकास में रूझान आदि को अद्यतन करने, नए आँकड़े एकत्रित करने और उन पर तर्कमूलक दृष्टि से विवेचन करने के लिए भाषाओं का दस्तावेजीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

(ङ) नरेन्द्र सिंह नेगी (गढ़वाली) एवं गिरीश तिवारी 'गिर्दा' (कुमाऊँनी) के गीतों का हिन्दी अनुवाद–

लोक का जीवन दूब की तरह होता है जो कभी मरता नहीं और पानी में शतग्रन्थि होकर अनेक दिशाओं मे फूटता तथा फलता–फूलता है। लोकगीत उसी लोक जीवन के अजस्त्र स्रोतों की तरह होते हैं, जिनमें लोक के धरती पर जिये समस्त जीवन का प्रवाह होता है। इसीलिए लोकगीत केवल गीत या काव्य ही नहीं होते, वे सही अर्थों में इतिहास, पुराण, साहित्य, संस्कृति, वर्तमान सभी कुछ होते हैं। लोक साहित्य का अध्ययन कर लेना ही काफी नहीं हैं, वरन् काव्य, इतिहास, संस्कृति तथा समाजशास्त्र–सभी दृष्टियों से लोकगीतों का अध्ययन अपेक्षित है। उपरोक्त दोनों गीतकारों ने स्वरचित गीतों के अलावा प्रचलित लोकगीतों को भी अपना कण्ठ देकर जनमानस तक पहुचाया है।

लोकगीत लोक–जीवन के बीच उपजते हैं, वे बनाये नहीं जाते, वरन् सावन के उमड़ते–घुमड़ते बादलों की तरह बरसते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि उन्हें किसने कब रच डाला, फिर भी वे परम्ब्रहम की भांति अनादि, अनंत और सर्वव्यापी होते हैं। लोक के ये गीत कभी पराये नहीं लगते। ये गीत एक साथ हजारों स्थानों एवं सैकड़ो कण्ठों द्वारा गाये जाते हैं। इसी व्यापकता के कारण लोकगीतों का क्षेत्र असीमित है। कौन सा विषय ऐसा है जो उनके लिए वर्जित हो। उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र में लोक–गीतों का वर्गीकरण इस प्रकार मिलता है–

01. धार्मिक अनुष्ठानिक गीत।
    - (क) जागर
    - (ख) रखावली
    - (ग) भूत–भैरव और आछरियों की मनौती के गीत– रांसो
    - (घ) तंत्र–मंत्र

02. संस्कार गीत
    - (क) जन्म के गीत
    - (ख) चूड़ा कर्म के गीत
    - (ग) जनेऊ के गीत
    - (घ) विवाह गीत– मांगल
    - (ङ) मृत्यु संस्कार संबंधी गीत।

03. ऋतु गीत
    - (क) वसंती
    - (ख) चैती
    - (ग) झुमैलो
    - (घ) खुदेड़ गीत
    - (ङ) बारहमासी
    - (च) होली

04. नृत्य, मेलों और त्योहारों के गीत–
    - (क) चौंफुला
    - (ख) छोपती
    - (ग) चांचर
    - (घ) थाड्या
    - (ङ) माध–गीत
    - (च) तांदी

05. प्रणय गीत
- (क) बाजूबंद
- (ख) लामण
- (ग) छोपती
- (घ) बारहमासी
- (ड़) दांपत्य

06. विविध गीत–
- (क) छूड़ा
- (ख) दरोल्या
- (ग) हास्य–व्यंग्य विषयक गीत
- (घ)सामयिक विषयों संबंधी गीत
- (ड़) बालगीत
- (च) श्रम गीत
- (छ) जातियों के गीत।

07. लोक गाथाएं–
- (क) पौराणिक गाथाएं
- (ख) हारूल, बारता
- (ग) जागर
- (घ) वीर गाथाएं– पवाड़ा
- (ड़) प्रणय गाथाएं
- (च) चैती।

इसी प्रकार उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में लोक गीतों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने विषय वस्तु के आधार पर इस प्रकार किया है–

डॉ. त्रिलोचन पाण्डे द्वारा किया गया वर्गीकरण

01. मुक्तक गीत– नृत्य प्रधान गीत
- (क) झोड़ा
- (ख) चांचरी
- (ग) छपेली

02. संस्कार प्रधान गीत–
- अनिवार्य
- विशेष

03. ऋतु गीत
04. कृषिगीत
05. देवी–देवता, व्रत त्यौहार के गीत
06. बालगीत

डॉ. कृष्णानन्द जोशी द्वारा किया गया वर्गीकरण

01. धार्मिक गीत
02. संस्कार गीत
03. ऋतु गीत
04. कृषि संबंधी गीत
05. मेलों के गीत
06. परिसंवादात्मक गीत
07. बालगीत

डॉ. भवानीदत्त उप्रेती द्वारा किया गया वर्गीकरण

01. संस्कार गीत
02. स्तुति पूजा और उत्सव गीत
03. ऋतु गीत
04. जतिमूलक गीत
05. व्यवसायमूलक गीत
06. बालगीत
07. मुक्तक गीत

डॉ. पोखरिया एवं डी.डी. तिवारी द्वारा किया गया वर्गीकरण

01. मुक्त गीत
02. प्रबन्ध गीत

नरेन्द्र सिंह नेगी एवं गिरीश तिवारी 'गिर्दा' जैसे गीतकारों के गीत उत्तराखण्ड के जनमानस को समझने के जीते–जागते दस्तावेज है, उनके गीतों के अर्थ यदि हिन्दी में उपलब्ध होंगे तो भारतीय समाज अपने इस कठिन भूगोल को जीते सीमांत के प्रहरी मेहनतकश समाज के दुख दर्द एवं इस लोगजीवन की मिठास को जीने में भी सहभागी होगा।

अतः भाषा संस्थान उत्तराखण्ड के गीतकार '**नरेन्द्र सिंह नेगी एवं गिरीश तिवारी 'गिर्दा' के गीतों का हिन्दी अनुवाद** कर ग्रन्थ के रूप में तैयार करना चाहता है इसके लिए पूर्ण योजना तैयार कर शासन एवं साधारण सभा व कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत की जानी प्रस्तावित है।

06 **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलनः–**

संस्थान की यह एक बहुआयामी योजना होगी, जिसमें शोध पत्रों का वाचन, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय शोध सम्मेलन, काव्य गोष्ठियों का आयोजन, भाषा संबंधी विचार–विनिमय, साहित्यिक शोभा यात्रा, लोक भाषा सम्मेलन, नाट्यमंचन तथा अन्य कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी विधिवत योजना तैयार कर शासन एवं साधारण सभा व कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत की जानी प्रस्तावित है।

(क) प्रख्यात दिवंगत रचनाकारों की जयन्ती एवं स्मृति दिवसों का आयोजनः– उत्तराखण्ड की इस पवित्र भूमि में विभिन्न भाषाओं के अनेक रचनाकारों, साहित्यकारों ने जन्म लिया है, इन साहित्यकारों के नाम उत्तराखण्ड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य हैं। भाषा संस्थान का यह कर्त्तव्य है कि ऐसे स्वनामधन्य रचनाकारों के जन्म दिवस प्रेरणास्रोत के रूप में भव्यतापूर्वक आयोजित करें। प्रमुख सहित्यकारों की जयन्ती एवं स्मृति दिवसों को इनके जन्म स्थान में जाकर आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों को उत्तराखण्ड के पंजीकृत संस्थाओं के साथ मिलकर किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) हिन्दी दिवस एवं विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन– प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस एवं विश्व हिन्दी दिवस पर संस्थान द्वारा हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी सप्ताह, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। जिसकी विधिवत योजना तैयार कर शासन एवं साधारण सभा व कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत की जानी प्रस्तावित है।

(ग) जोहारी, रं, थारू, बोक्सा, जौनसारी आदि जनजातीय बोली भाषाओं के संरक्षण हेतु शोध सम्मेलन – उत्तराखण्ड की सीमान्त क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय बोली भाषाओं, जो

विलुप्ति की कगार पर है, इन बोली भाषाओं के संरक्षण हेतु संस्थान द्वारा एक शोध सम्मेलन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

07. प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना –

उत्तराखण्ड हिन्दी, उर्दू एवं पंजाबी अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितम्बर हिन्दी दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड में हिन्दी, उर्दू एवं पंजाबी विषय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा प्रदेश के हिन्दी, उर्दू, पंजाबी भाषा के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करने का प्रस्ताव है, जिसमें छात्रों को पुरस्कार राशि, स्मृति चिह्न, पुस्तकें आदि प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

08. प्राथमिक स्तर पर लोक भाषाओं में पठन–पाठन –

राज्य विधानसभा में गठित स्थानीय बोली भाषा समिति की द्वितीय बैठक में प्रदेश के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में उत्तराखण्ड की लोक भाषाओं में बच्चों को पठन–पाठन कराये जाने की अनुशंसा की गयी है, इसके लिए पठन सामग्री तैयार करने हेतु कार्यशाला का आयोजन–उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड के साथ मिलकर लोक बोली एवं भाषाओं में छोटे बच्चों के लिए शब्द ज्ञान, कहानी, लघुकथा, नाटक, चित्र एवं पाठ्यक्रम से संबंधित छोटी–छोटी पुस्तकों को तैयार करने के लिए साहित्यकारों/ विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला आयोजित की जानी प्रस्तावित है। उक्त पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण का कार्य शिक्षा विभाग के साथ मिलकर किया जाना प्रस्तावित है।

09. पुस्तक मेलों का आयोजन –

पुस्तकें अनमोल हैं। पुस्तक हमारी सबसे अच्छी मित्र है। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, परन्तु श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, उपदेश, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अंतरित होते रहते हैं।

आज अनेक लेखकों द्वारा श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा रही है, जो आम जनमानस तक नहीं पहुँच पता है। लेखक का लेखनधर्म तभी सार्थक है जब अधिकाधिक पाठक उनकी रचनाओं को पड़े, अतः पुस्तक मेलों के माध्यम से भाषा संस्थान लेखक और पाठक के बीच सेतु का कार्य करेगा।
पुस्तक मेले में निम्नलिखित आयोजन किये जाने प्रस्तावित है–

1. उत्तराखण्ड एवं भारत वर्ष के प्रमुख पुस्तक विक्रेता एवं प्रकाशकों को स्टाल लगाने हेतु आमंत्रित किया जाना।
2. पुस्तक मेले में साहित्यिक संगोष्ठियों का आयोजन।
3. प्रख्यात नाटकों का मंचन।
4. कवि सम्मेलन।
5. साहित्यकारों की पुस्तकों की समीक्षा एवं विमोचन कार्यक्रम।

उक्त पुस्तक मेले नेशनल बुक ट्रस्ट (एन.बी.टी.) के साथ मिलकर किया जाना प्रस्तावित है।

10– संस्थान की शोध पत्रिका का प्रकाशन–

भाषा संस्थान द्वारा साहित्यिक एवं शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन त्रैमासिक आधार पर किया जाना प्रस्तावित है पत्रिकाओं हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार प्रकाशन की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित हैं –

1. पत्रिकाओं का प्रकाशन त्रैमासिक होगा।
2. पत्रिकाओं का नाम 'उद्गाता' एवं 'केदारमानस' होगा।
3. पत्रिका का प्रत्येक अंक किसी एक विषय पर केन्द्रित करने का प्रयास किया जायेगा।
4. पत्रिका में उत्तराखण्ड के लेखकों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित विशेषांक प्रकाशित करने पर विशेष बल दिया जायेगा।
5. पत्रिका में उत्तराखण्ड के साहित्यकारों की रचानाओं को प्राथमिक्ता दी जायेगी।
6. प्रकाशन हेतु एक सम्पादक मण्डल बनाया जाएगा, जिसमें संस्थान के अधिकारियों के अतिरिक्त तीन साहित्यकार/विषय विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
7. सम्पादक मण्डल को प्रति प्रकाशित पत्रिका के आधार पर संस्थान द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।
8. सम्पादक मण्डल में प्रधान सम्पादक निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान होंगे।
9. सम्पादक मण्डल द्वारा ही चयनित रचनाएँ पत्रिका में प्रकाशित की जाएंगी।
10. चयनित/प्रकाशित रचनाओं के लेखकों को संस्थान द्वारा समय–समय पर निर्धारित पारिश्रमिक दिया जायेगा।
11. पत्रिका का शुल्क लागत के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
12. पत्रिकाओं को उत्तराखण्ड राजभवन पुस्तकालय, सचिवालय, विधानसभा सहित प्रतिष्ठित संस्थान, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, आदि स्थानों में भेजा जायेगा।

(ख) अन्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन–

संस्थान द्वारा समय–समय पर आयोजित होने वाले शोध सम्मेलनों पर शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध पत्रों को प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए संस्थान द्वारा साधारण सभा एवं कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

11. साहित्यकार कल्याण कोष –

इस योजना का उदेश्य विषय आर्थिक स्थितिग्रस्त साहित्यकारों को अनावर्तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा से सम्पृक्त होने के कारण विषम आर्थिक स्थितिग्रस्त है तथा जिन्हें स्वयं के या परिवार के किसी सदस्य के उपचार आदि हेतु अचानक आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। यह योजना शासन द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में संचालित की जानी प्रस्तावित है।

12. साहित्य ग्राम की स्थापना –

उत्तराखण्ड पर्यटन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक भूमि है, यहां पर देश–विदेशों से करोड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष भ्रमण पर उत्तराखण्ड आते हैं। प्रदेश एवं देश के साहित्यकारों द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती है कि सहरों के इस भाग–दौढ़ भरे जीवन में उत्कृट साहित्य सृजन नहीं किया जा सकता है, इसके लिए एकाग्रता की आवश्यता होती है। इस हेतु सुझाव दिया जाता है कि उत्तराखण्ड देश प्रदेश के साहित्यकारों के लिए ऐसा स्थान तैयार करे जहां पर प्रकृति के बीच में साहित्य सृजन, साहित्यकारों के मध्य गोष्ठी, चर्चा–परिचर्चा, पढ़ने के लिए पुस्तकालय हों, इस योजना को परिणीत करने के उद्देश्य से स्थान द्वारा 02 साहित्य ग्राम स्थापित किये जाने प्रस्तावित है, जिसमें पर्याप्त कक्ष, पुस्तकालय, छोटा साभागार आदि हो।

13– पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों का क्रयः–

शिक्षा का प्रसारण एवं जनसामान्य को सुशिक्षित करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है, जो लोग स्कूलों या कालेजों में नहीं पढ़ पाते, विभिन्न विषयों पर शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों, साधारण पढ़े–लिखे व्यक्तियों, अथवा जिनकी पढ़ने की अभिलाषा है और पुस्तकें नहीं खरीद सकते तथा अपनी रुचि का साहित्य पढ़ना चाहते हैं, एसे वर्गों की रुचि को ध्यान में रखकर जनसाधारण की मॉग एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कर की जा सकती है। एक राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय–राष्ट्रीय, क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों में लिखित साहित्य, शोध प्रबन्ध, शोध ग्रन्थ, स्कूली शिक्षा, इन्जीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासनिक प्रबन्धकीय आदि अन्य से सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो, वृहद पुस्तकालय भवन, जिसमें पुस्तकालय, वाचनालय के अतिरिक्त समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो, की स्थापना भाषा संस्थान में की जानी प्रस्तावित है। वर्तमान में भाषा संस्थान के पुस्तकालय में 7 हजार से अधिक पुस्तकें विद्यमान है। उक्त हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आधुनिक संयुक्त पुस्तकालय की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अनुसार उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, एवं लोक भाषा व बोली अकादमियों का आय–व्ययक वर्ष 2025–26 में प्राविधानित बजट

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या – 11 **2202– सामान्य शिक्षा** **05– भाषा विकास** **102– आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन,**	**आय–व्ययक अनुमान** **वित्तीय वर्ष 2025–26**		
04– उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान	**मतदेय**	**भारित**	**योग**
05–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	**5000**	–	**5000**
07–मानदेय	–	–	–
08–पारिश्रमिक	**5000**	–	**5000**
20–लेखन सामग्री एवं छपाई	–	–	–
21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	–	–	–
22–कार्यालय व्यय	–	–	–
23–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	–	–	–
25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	–	–	–
26–कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर व अनुरक्षण	–	–	–
27–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	–	–	–
29–गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	–	–	–
30–आतिथ्य व्यय	–	–	–
54– भूमि क्रय	–	–	–
56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	**30000**	–	**30000**
योग	**40000**	**–**	**40000**
पूंजीगत परिव्यय 2025–26			
लेखाशीर्षक– 4202 सामान्य शिक्षा, 01 सामान्य शिक्षा, 205–भाषा विकास, 04– भाषा संस्थान एवं हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण			
55–पूंजिगत परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान	**1**	**–**	**1**

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

461/1/1, चन्द्रलोक कॉलोनी, निकट गढ़वाल मण्डल विकास निगम, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष (कार्यालय) : 7830005969

ई-मेल : directorbhashuk@gmail.com

वेबसाइट: www.ukbhashasanstham.in